Ministry of Health

सैलून, नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर के निर्देश

कोरोनावायरस COVID -19 से निपटने के लिए जागरुकता अभियान

सामान्य नियम

ग्राहक सैलून में केवल उसी वक़्त जा सकते हैं यदि उनके पास पहले से अपॉइंटमेंट हो।

बिना अपॉइंटमेंट के किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रत्येक दो अपॉइंटमेंट के बीच कम से कम 20 मिनट का अंतर होना चाहिए ताकि स्टाफ कुर्सियों और उपकरणों को कीटाणुरहित कर सकें, अपने हाथों को अच्छी तरह धो सकें और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा किट बदल सकें।

अपॉइंटमेंट के समय

ग्राहक से पिछले 14 दिनों के लिए उसके स्वास्थ्य के बारे में निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए:

- क्या आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करते हैं ? बुखार | खांसी | थकान | सांस लेने में कठिनाई | सुगंध की कोई भावना नहीं | स्वाद में कमी | गले में सूजन खराश
- क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में थे जिनमें ये लक्षण थे या वह कोविड -19 पाज़िटिव हो ?
- क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो क्वॉरन्टीन में है?

यदि ग्राहक ऊपर दिए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर हां में देता है तो सैलून ग्राहक को अपॉइंटमेंट देने से मन कर दे।

सैलून में प्रवेश करने से पहले सैलून के स्टाफ और ग्राहकों के तापमान को प्रतिदिन इन्फ्रारेड थर्मामीटर से जांचना चाहिए। यदि किसी स्टाफ या ग्राहक का तापमान 37.5°C या इससे अधिक है, तो सैलून को तुरंत छोड़ दें और 444 पर कॉल करें।

यदि सैलून आने पर ग्राहक में COVID-19 से संबंधित कोई लक्षण मिलते हैं तो सैलून उसका अपॉइन्ट्मन्ट रद्द कर दे और उन्हें परिसर छोड़ने के लिए कहे।

ग्राहक के नाम, मोबाइल नंबर, अपॉइन्ट्मन्ट की तारीख और समय रिकॉर्ड करें। अपॉइन्ट्मन्ट की तारीख से 30 दिनों के लिए ये रिकॉर्ड रखना होगा।

सभी ग्राहकों के बीच हर समय 2 मीटर की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए।

सैलून के अंदर प्रतीक्षा क्षेत्र को बंद रखा जाएगा। सभी प्रकार की पत्रिकाएं और कुर्सियां हटा दी जाएंगी। यदि कोई ग्राहक जल्दी आता है तो सैलून के बाहर या अपनी निजी कार में प्रतीक्षा करे।

Be Aware #UnitedAgainstCovid19

Hindi

وزارة الصحة
Ministry of Health

सैलून, नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर के निर्देश

कोरोनावायरस COVID -19 से निपटने के लिए जागरुकता अभियान

सभी कर्मचारियों को हर समय दस्ताने और चेहरे के मास्क पहनना चाहिए। प्रत्येक ग्राहक के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा किट (मास्क और दस्ताने) बदले जाने चाहिए। अगर यह गंदा या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसे अधिक बार बदलना चाहिए।

ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता वाली सेवाओं को निष्पादित करते समय स्टाफ सदस्यों को फेस-शील्ड पहनना चाहिए। प्रत्येक ग्राहक के बाद फेस-शील्ड को कम से कम 70% अल्कोहल युक्त कीटाणुनाशक से साफ किया जाना चाहिए।

ग्राहकों को यथासंभव मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए। शेविंग के लिए मास्क हटाए जा सकते हैं, मैनीक्योर के लिए दस्ताने भी हटाए जा सकते हैं।

सैलून में ग्राहकों के लिए भोजन और पेय पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन वे अपनी खुद की पानी की बोतल ला सकते हैं। कर्मचारी एक विशिष्ट कमरे में भोजन और पेय का उपयोग कर सकते हैं।

प्रत्येक ग्राहक से पहले और बाद में स्टाफ के सदस्य कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और गर्म पानी से अपने हाथ धोएं। यदि वे गलती से चेहरा छूते हैं तो भी हाथ धोएं और दस्ताने उतारने के बाद भी।

यह महत्वपूर्ण है कि वेंटिलेशन सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा हो। खिड़कियों या दरवाजों को खोलकर और वेंटिलेशन पंखों का उपयोग करके बाहर की हवा आने दें।

किसी भी सेवा को करते समय कम से कम 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और दुकान मे सैनिटाइज़र रखना अनिवार्य है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

शॉवर, सौना और भाप कमरे बंद रहेंगे।

नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों द्वारा जांच की जाएगी

कोई भी सैलून जो इन नियमों और शर्तों को पूरा नहीं कर सकता उसे बंद रहना चाहिए।

सैलून को घरों में सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

Be Aware
#UnitedAgainstCovid19

Hindi

وزارة الصحة
Ministry of Health

सैलून, नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर के निर्देश

कोरोनावायरस COVID -19 से निपटने के लिए जागरुकता अभियान

महिलाओं के ब्यूटी पार्लरों में दी जाने वाली सुविधाएं, इस शर्त पर कि प्रत्येक सुविधा के लिए आवश्यक स्वास्थ्य निर्देशों का पालन किया जाए।

- आइब्रो मेकिंग: केवल डिस्पोज़ेबल रैज़र ब्लेड का उपयोग करें जिसे प्रत्येक उपयोग के बाद बदल दिया जाए।
- चेहरे और आइब्रो के बालों को मोम (वैक्स) से साफ करना: बर्तन में केवल इतनी मात्रा में मोम (वैक्स) लें जो एक ग्राहक के लिए काफी हो।
- ब्लीचिंग: ब्लीचिंग के लिए ब्रश का उपयोग केवल एक बार ही करें जिसे प्रत्येक उपयोग के बाद बदल दिया जाए।
- केराटिन या हेयर ट्रीटमेंट: हेयर ड्रायर की जगह स्ट्रेटनर का उपयोग करें।
- हेयर स्टाइलिंग: हेयर स्ट्रेटनर या कर्लर का उपयोग करें। किसी भी प्रकार के एयर ड्रायर की अनुमति नहीं है।
- पैराफिन (हाथों और पैरों को नरम करने के लिए मोम का उपयोग): बर्तन में केवल इतनी मात्रा में मोम (वैक्स) लें जो एक ग्राहक के लिए काफी हो।
- नेल पॉलिश: नेल पॉलिश लगाने से पहले और बाद में ग्राहक कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी से धोए या सैनिटाइज़र (जिस में कम से कम 70% अल्कोहल हो) का उपयोग करे।

Be Aware
#UnitedAgainstCovid19

Hindi

Ministry of Health

सैलून, नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर के निर्देश

कोरोनावायरस COVID -19 से निपटने के लिए जागरुकता अभियान

वर्तमान में निम्नलिखित सेवाएं निषिद्ध हैं:

- फैश्यल
- हेयर ड्रायर का प्रयोग करें
- हेयर ट्रीटमेंट जिस में हेयर ड्रायर के प्रयोग की आवश्यकता होती है (जेसे केराटिन, ब्राजीलियन ब्लो-आउट, प्रोटीन, आदि) ।
- थ्रेडिंग
- माइक्रोब्लेडिंग
- सुइयों का उपयोग करना
- स्पा, मालिश, ओरिएंटल बाथ (मोरक्को बाथ, तुर्कीश बाथ आदि)
- मेंहदी
- मेक-अप सेवाएं
- टैनिंग सेवाएं
- पलकें लगाना
- बाल लगाना (जो लौटाए जाते हैं)

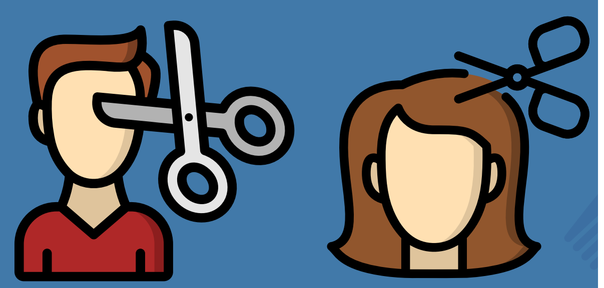

बाल काटने के निर्देश

- बाल काटने से पहले सभी महिला ग्राहकों के बालों को सैलून में धोने चाहिए और पुरुष ग्राहकों के बालों को पानी के स्प्रे से गीला करना चाहिए।
- जरूरत पड़ने पर बालों से अतिरिक्त पानी को सुखाने के लिए डिस्पोजेबल तौलिए का प्रयोग करें।
- छोटे और पतले बालों को हवा में उड़ने से रोकने के लिए बाल गीले हों तभी काटना चाहिए।
- कपड़े के एप्रन के बदले पेपर या प्लास्टिक के डिस्पोजेबल एप्रन का उपयोग करें।

शैविंग

- केवल डिस्पोजेबल रेजर ब्लेड का उपयोग करें। प्रत्येक ग्राहक के बाद ब्लेड को बदलें।
- प्रत्येक उपयोग से पहले और बाद में मशीन को कम से कम 70% अल्कोहल युक्त कीटाणुनाशक के साथ छिड़का जाना चाहिए।

Be Aware #UnitedAgainstCovid19

Hindi

وزارة الصحة
Ministry of Health

सैलून, नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर के निर्देश

कोरोनावायरस COVID -19 से निपटने के लिए जागरुकता अभियान

बालों को रंगना

- हेयर डाई उत्पाद केवल एक ग्राहक पर प्रयोग किया जाना चाहिए।
- कपड़े के एप्रन के बदले पेपर या प्लास्टिक के डिस्पोजेबल एप्रन का उपयोग करें।
- प्रक्रिया के दौरान जरूरत पड़ने पर डिस्पोजेबल तौलिए का इस्तेमाल करें।

वैक्सिंग

- संदूषण को रोकने के लिए वैक्स को एकल-उपयोग के आधार पर तैयार करें। बड़ी मात्रा में तैयार न करें।
- केवल डिस्पोजेबल उपकरण (जैसे पैड और स्पैटुला) का उपयोग करें।
- वैक्स के बर्तन को केवल एक ग्राहक के लिए पर्याप्त मोम से भरा होना चाहिए।
- बर्तन को प्रत्येक उपयोग के बाद साफ करें।

मैनीक्योर और पेडीक्योर

- मैनीक्योर से पहले और बाद में, ग्राहक को कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए या कम से कम 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए।
- मैनीक्योर और पेडीक्योर करते समय ग्राहकों को फेस मास्क पहनना चाहिए।
- पेडीक्योर शुरू करने से पहले कम से कम 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र से ग्राहक के पैरों को साफ़ करें।
- सभी उपयोग किए गए उपकरण (मशीन, कप, कैंची, आदि) प्रत्येक उपयोग के बाद ऑटोक्लेविंग विधियों के माध्यम से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।

Be Aware
#UnitedAgainstCovid19

Hindi